सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजस्थान–सरकार)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 01/2017

बउनवान

मोहनलाल पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी नयागांव मजरा फूलबडौदा तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

ग्राम पंचायत फूलबडौदा, पंचायत समिति छीपाबडौद जिला बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र/परिवाद अन्तर्गत धारा 93 पंचायतीराज अधिनियम 1994

उपस्थित :– 1– श्री अनोज शर्मा अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2– ग्राम पंचायत फूलबडौदा अनुपस्थित **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक 12.07.2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र/परिवाद जर्ये अभिभाषक ग्राम पंचायत फूलबडौदा ने दिनांक 05.04.2012 को रास्ते के अतिक्रमण चबूतरी को हटाने का आदेश देते हुए 12 फीट चौडाई का रास्ता कायम करने का फैसला पारित किया था, के विरूद्व प्रार्थना पत्र/परिवाद अन्तर्गत धारा 93 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत फूलबडौद से प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब की गई। इस न्यायालय के पत्रांक/रीडर II/2019/239 दिनांक 25 फरवरी, 2019 से सचिव, ग्राम पंचायत फूलबडौद को जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद उक्त आदेश दिनाक 05.04.2012 की पालना की जाकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया, जिसकी पालना में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत फूलबडौद द्वारा प्रत्र क्रमांक जीपी–7 दिनांक 08.04.2019 के साथ प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली संलग्न कर भिजवाते हुऐ, जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र/परिवाद में अंकित तथ्यों को दौराहते हुऐ कथन किया कि ग्राम पंचायत फूलबडौदा ने दिनांक 05.04.2012 को रास्ते के अतिक्रमण चबूतरी को हटाने का आदेश देते हुए 12 फीट चौडाई का रास्ता कायम करने का फैसला पारित किया था। ग्राम पंचायत फूलबडौद द्वारा आज तक अपने फैसले की पालना नही करवाई है जिसके कारण प्रार्थी की मुश्किलात अभी भी बरकरार है। ग्राम पंचायत द्वारा इस बाबत अपना दायित्व गंभीरता से पूर्ण नही किया है जिसकी कानूनन उस पर जिम्मेदारी आयद है।

ग्रांम पंचायत को फैसले के बाद से ही लगातार उसकी पालना करवाने प्रार्थी का रास्ता खुलासा कराने की गुहार लगातार करता चला आ रहा है। परन्तु ग्राम पंचायत जानबूझकर अपने कानूनी उत्तरदायित्व का निर्वहन नही कर रही है। प्रार्थी ने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को भी समय–समय पर उक्त फैसले की पालना कराने हेतु आवेदन पेश किए परन्तु इसके बावजूद ग्राम पंचायत अपने दायित्व की पालना नही कर रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्रांम पंचायत फूलबडौद को निर्देश दिए जावे कि वह अपना दायित्व पूर्ण कर फैसला दिनांक 05.04.2012 की पालना करावे।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत फूलबडौद द्वारा प्रत्र क्रमांक जीपी–7 दिनांक 08.04.2019 से इस न्यायालय को अवगत कि उक्त प्रार्थना पत्र/परिवाद अन्तर्गत धारा 93 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के संबंध में ग्राम पंचायत फूलबडौद के निर्णय दिनांक 05.04.2012 के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा विशिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बारां के यहां मुकदमा नं0 15/2013 में उनवान मांगीलाल वगै0 बनाम जमनालाल वगै0 प्रकरण लम्बित है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण/ फैसला होने के उपरान्त ही ग्राम पंचायत निर्णय/आदेश दिनांक 05.04.2012 की पालना सिविल न्यायालय के निर्णयानुसार ही किया जाना संभव है।

हमने प्रार्थी के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी उस पर मनन किया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र/परिवाद अन्तर्गत राजस्थान पंचायतराज अधिनियम पुराना की धारा 71 एवं पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 93 के तहत ग्राम पंचायत फूलबडौद के निर्णय/आदेश दिनांक 05.04.2012 की पालना करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आदेश की पालना किये जाने हेतु ग्राम पंचायत फूलबडौद को आदेश दिये गये। ग्राम पंचायत द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विशिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बारां के यहां मुकदमा नं0 15/2013 में उनवान मांगीलाल वगै0 बनाम जमनालाल वगै0 प्रकरण लम्बित है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण/ फैसला होने के उपरान्त ही ग्राम पंचायत निर्णय/आदेश दिनांक 05.04.2012 की पालना सिविल न्यायालय के निर्णयानुसार ही किया जाना संभव है। उक्त प्रकरण में पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद में दावा नं0 92/10 अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट बउनवान गोपाल बनाम जमनालाल में भी दिनांक 26.09.2011 को निर्णत पारित किया जा चुका है। जिसमें यह आदेश पारित किया गया है कि ग्राम फूलबडौद के विवादित खसरा नम्बर 778/2.01, 779/1.05, 780/2.05, 790/0.11, 793/0.03, 795/1.07, 797/1.17, 801/0.12, 802/2.05 वादी गोपाल पुत्र मथुरालाल धाकड निवासी गणेशपुरा मजरा फूलबडौद तहसील छीपाबडौद के सहखातेदारी के है। मौका कमीशनर की रिपोर्ट अनुसार विवादित खसरा नं0 803 गै0मु0 रास्ता होने से वादी एवं प्रतिवादी समस्त को पाबन्द किया गया है कि रास्ते को अवरूद्ध ना करे। उक्त दोनो प्रकरणों में इस न्यायालय का प्रार्थी प्रतिवादी के रूप में रहा है।

ग्राम पंचायत फूलबडौद द्वारा लिये गये प्रस्ताव दिनांक 05.04.2012 रास्ते के अतिक्रमण चबूतरी को हटाने का आदेश देते हुए 12 फीट चौडाई का रास्ता कायम करने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना करवाये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रार्थना/परिवाद अन्तर्गत धारा 93 राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई जिसके अवलोकन से पाया गया की उक्त प्रस्ताव से अंकित खसरा नम्बर 795 विवादित स्थल जो गोपाल पुत्र मथुरालाल धाकड निवासी गणेशपुरा मजरा फूलबडौद तहसील छीपाबडौद के सहखातेदारी होने से उक्त आदेश की पालना करवाया जाना संभव नही है। अतः ग्राम पंचायत फूलबडौद द्वारा लिया गया प्रस्ताव दिनांक 05.04.2012 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां